अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज (सिरोही)

बइजलास भागीरथ राम आर.ए.एस.

वादीगण — **बनाम** — **प्रतिवादी**

पकाराम पुत्र खसाजी मीणा
निवासी कानाकोलर
अधिवक्ता दिलीपसिह

1.भवरलाल पुत्र छोगाजी
2.सांकलाराम पुत्र छोगाजी
3भीमाराम पुत्र छोगाजी
4.मीरा पत्नि छोगाजी मीणा नि.कानाकोलर
5.मंजु पुत्री छोगाजी पत्नि प्रभूजी मालनु
6.अंशी पुत्री छोगाजी पत्नि वीरमाजी नि.कागदरा
7.तगाराम पुत्र खसाजी मीणा
8.जगाराम पुत्र खसाजी मीणा नि.कानाकोलर
9.राज.सरकार जिला कलक्टर सिरोही
10लैण्ड होल्डर तहसीलदार शिवगंज

वाद संख्या 72/2019

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:निर्णय:– दिनाक 07.01.2021

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ) शिवगंज द्वारा दिनाक 1408.2019 को जारी प्राथमिक डिकी की अनुपालना में तहसीलदार शिवगंज ने पंत्राक/2021/43 दिनाक 05.01.2021 को सरहद मौजा कानाकोलर पटवार हल्का धुबाना तहसील शिवगंज के खाता संख्या 76 के खसरा नम्बर 53, 53/1, 54/7, 54/8, 54/9 किता पॉच कुल रकबा 26–07 बीघा भूमि का पक्षकारान को सूचित कर बाद मौके पर काबिज काश्त एंव बॉय मिट्स एण्ड बाउण्डस अनुसार बटंवाड प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तैयार कर निम्नानुसार पेश किया है।

कंस	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा बीघा मे	किस्म	बंरग
1.	पकाराम पुत्र खसाराम कौम मीणा साकिन देह खातेदार	54/8 मे से 53 मे से 54/7 मे से	3–12 2–06 0–11	पहाड बंजर ब–1	हरा
		तीन	**6–09**	–	–
2.	जगाराम पुत्र खसाराम कौम मीणा साकिन देह खातेदार	54/8 मे से 53 मे से 53/1 मे से 54/7 मे से 54/9 मे से	3–15 0–18 1–05 0–08 0–03	पहाड बंजर ब–1 ब–1 पहाड	केसरिया
		पॉच	6–09	–	–
3	तगाराम पुत्र खसाराम कौम मीणा साकिन देह खातेदार	54/8 मे से 53/1 मे से 54/9 मे से	4–00 1–18 0–11	पहाड बंजर ब–1	नीला
		तीन	6–09		
4	भंवरलाल,भीमाराम,सांकलाराम,पि0छोगाराम, मंजु,अंसी पुत्री छोगाराम, मीरा धर्मपत्नि स्व. छोगाराम कौम मीणा सा0 देह खातेदार। रहनः–भवरलाल का हिस्सा**SBBJ (ADB)** शिवगंज	54/8 मे से 53/1 मे से 54/9 मे से	4–00 1–18 0–11	पहाड बंजर ब–1	भूरा
		तीन	6–09		
5	शामलाती जमाबंदी अनुसार समस्त खातेदार	54/8 मे से 53 मे से 53/1 मे से	0.08 0–01 0–02	पहाड बंजर ब–1	बैगनी
			[illegible]–11		

अतः उल्लेखित व विवेचित तथ्यो के परिणा[illegible] वादीगण का यह वाद पत्र विरूद्व प्रतिवादी को कतिपय प्रावधानो व मौके [illegible] डिकी किया जाता है। तहसीलदार शिवगंज को उक्तानुसार ब[illegible] के अनुसार राजस्व रेकार्ड व नक्शा मे अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है। संलग्न नजरी नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग माना जायेगा। पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करेगे। मार्फिक [illegible]य डिकी पर्चा मुर्तिब हो। [illegible] आज दिनाक 7.01.2021को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

क्रमांक/कोर्ट/2021/10 दि 7.1.2021

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

प्रतिलिपि पालनार्थः– तहसीलदार शिवगंज।

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.01.22 15:59:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज (सिरोही)

बइजलास भागीरथ राम आर.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
पकाराम पुत्र खसाजी मीणा निवासी कानाकोलर अधिवक्ता दिलीपसिह		1.भवरलाल पुत्र छोगाजी 2.सांकलाराम पुत्र छोगाजी 3भीमाराम पुत्र छोगाजी 4.मीरा पत्नि छोगाजी मीणा नि.कानाकोलर 5.मंजु पुत्री छोगाजी पत्नि प्रभूजी मालनु 6.अंशी पुत्री छोगाजी पत्नि वीरमाजी नि.कागदरा 7.तगाराम पुत्र खसाजी मीणा 8.जगाराम पुत्र खसाजी मीणा नि.कानाकोलर 9.राज.सरकार जिला कलक्टर सिरोही 10लैण्ड होल्डर तहसीलदार शिवगंज

वाद संख्या 72/2019
दिनाक 7.01.2021

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतेई रूबरू.......व हाजरी वादी मय अधिवक्ता मिनजानिब मुद्दई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि व डिक्री दी जाती है कि–वादी का वाद पत्र विरूद्व प्रतिवादीगण के कतिपय प्रावधानो के तहत स्वीकार व डिक्री किया जाकर तहसीलदार शिवगंज को आदेश दिया जाता है कि वे सरहद मौजा कानाकोलर पटवार हल्का घुबाना तहसील शिवगंज मे स्थित भूमि निर्णय मे वर्णित पक्षकारान की सयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या 76 के खसरा नम्बर 53, 53/1, 54/7, 54/8, 54/9 किता पॉच कुल रकबा 26-07 बीघा भूमि है।

नजरी नक्शा मे प्रदर्शित वादी व प्रतिवादीगण का हिस्सा अनुसार भूमि का बंटवाडा बाय मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के तहत होने से बटंवाड प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार शिवगंज आदेश मुजहब राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद व राजस्व नक्शे मे तरमीम कर पालना सुनिश्चित करे। नजरी नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग माना जाएगा पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07.01.2021 को जारी की गई।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शिवगंज (राजस्थान)

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

मुद्दाई	रूपया/पै..	मुद्दायलाह	रूपया/पैसे
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर मुतफरीक बाबतइजराय हुक्मनामा मीजान	–शून्य–	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुत[illegible] मी[illegible]	–:शून्य:–

दि 7.1.21

प्रतिलिपि पालनार्थः– तहसीलदार शिवगंज

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.01.22 15:59:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

Scanned with CamScanner